

राजस्थान सरकार
मनोनयन-पत्र
(अभिदाता के कुटुम्ब होनेकी दशा में पूर्ति किया जाये)

मैं इसके द्वारा निदेश देता/देती हूँ कि मेरी मृत्यु होने की दशा में मेरी सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा रकम निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों में इनके नाम के आगे वर्णित रीति से बांट दी जाये।

अथवा
(अभिदाता के कुटुम्ब न होनेकी दशा में पूर्ति किया जाये)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे कोई कुटुम्ब नहीं हैं और निर्देश देता/देती हूँ कि मेरे कुटुम्ब न होने की दशा में, मेरी मृत्यु होने पर मेरे सामान्य प्रावधायी निधि के खाते में जमा रकम निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों में उनके नाम के आगे वर्णित रीति से बांट दी जाये।

क्रम संख्या	मनोनित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पते	अभिदाता से संबंध	मनोनित व्यक्ति की आयु	संचित राशि में हिस्से का अनुपात
1.	2.	3.	4.	5.
टिप्पणी:-	(1) जो लागू न हो उसे काट दे।			
	(2) कुटुम्ब से अभिप्राय अभिदाता के पति/पत्नी,पुत्र/पुत्रियां हैं।			
	(3) स्तम्भ 5 को इस प्रकार भरा जाये कि खाते में जमा सम्पूर्ण रकम इसके अनतर्गत आ जावे।			
दिनांक				
स्थान				

1.हस्ताक्षर साक्षी.....
नाम
पता

अभिदाता के हस्ताक्षर

2.हस्ताक्षर साक्षी.....
नाम
पता

नाम
पद
विभाग.....